In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 97) /2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 23 November, 2017 for general information.

## Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. 971/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017

Dehradun :: Dated:: 23 November, 2017

## Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of Uttar Pradesh General Clause Act, 1904(as applicable to the State of Uttarakhand), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 515/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, -

(i) after Sl. No. 4 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"4A	5201	Raw cotton	Agriculturist	Any registered person".

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

(Radha Raturi) Principal Secretary

DT:/GST Notification/Amendment in noti.no. 515(16-11-2017)

3

## उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017 देहरादूनः दिनांकः: 23 नवम्बर, 2017 <u>अधिसूचना</u>

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (3) सपिठत उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, पिरषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 515/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्निलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, **तालिका में**, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"4क	5201	कच्चा कपास	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति";

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत होगी।

(राधा रतूड़ी) प्रमुख सचिव

सं0<sup>0</sup> / / 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1—आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2—निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4-अपर सचिव, वित्त-८, उत्तराखण्ड शासन।

5-एन0आई०सी०

6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से, (हीरा सिंह बसेड़ा) अनु सचिव